Dainik Bhaskar (Indore), 20th October 2025, Page – 09

छोटे शहरों के स्टार्टअप को बढ़ावा देने मेइटी ने लॉन्च किए दो प्रोग्राम, 50 लाख रुपए तक मिलेगा फंड

जेनेसिस मैचिंग इन्वेस्टमेंट व पायलट फंडिंग स्कीम के लिए 31 तक कर सकेंगे आवेदन

भास्कर संवाददाता | इंदौर

इंदौर जैसे टियर-2 व टियर-3 शहरों में इनोवेशन और तकनीकी स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने फंडिंग प्रदान करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (मेइटी) ने दो नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये जेनेसिस मैचिंग इन्वेस्टमेंट फंडिंग स्कीम और जेनेसिस पायलट फंडिंग स्कीम शामिल हैं। दोनों योजनाओं के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। आईआईटी इंदौर का इन्क्यूबेशन सेंटर दृष्टि सीपीएस इसमें होस्ट इनक्यूबेटर की भूमिका निभा रहा।

मैचिंग इन्वेस्टमेंट फंडिंग स्कीम

इस स्कीम के तहत उन स्टार्टअप्स को फंडिंग दी जाएगी, जिन्हें पहले से निजी निवेश मिल चुका है और जिनके पास तकनीक-आधारित स्केलेबल आइडिया हैं। योजना के तहत 1:1 के अनुपात में अधिकतम 50 लाख रुपए तक की मैचिंग इक्विटी फंडिंग दी जाएगी। इन्क्यूबेशन सेंटर तीन प्रतिशत तक की इक्विटी रखेगा। योग्यता अनुसार, स्टार्टअप का 51% स्वामित्व भारतीय होना चाहिए और वह टियर-2 या टियर-3 शहर में स्थित हो। यह स्कीम एआई, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, फिनटेक, एडटेक, हेल्थटेक, डीपटेक और आईओटी सेक्टर के लिए है। जिन स्टार्टअप्स के पास पेटेंट हैं, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। तकनीक आधारित प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर ही इस स्कीम के लिए मान्य होंगे जो डीपटेक, एआई एमएल, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, ब्लॉकचेन, फिनटेक, एडटेक या हेल्थटेक क्षेत्र से हो सकते हैं। ऐसे स्टार्टअप्स जिनके पास में पेटेंट मौजूद है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

जेनेसिस पायलट फंडिंग स्कीम

इस स्कीम का उद्देश्य उन स्टार्टअप्स को मदद देना है जो अपना प्रोटोटाइप पायलट स्तर पर लागू करने के लिए तैयार कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स का डीपीआईआईटी रजिस्टर्ड होना जरूरी है और उनके पास प्रोटोटाइप व परचेज या वर्क ऑर्डर होना चाहिए। उन्हें एक पायलट पार्टनर (सरकारी विभाग, पीएसयू या फॉर्च्युन 500 कंपनी) के साथ काम करना होगा, जिसका टर्नओवर 75 करोड़ से अधिक और अनुभव 5 साल से ज्यादा हो। इस योजना के तहत 40 लाख तक की फंडिंग मिलेगी, जिसका उपयोग प्रोडक्ट इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और कमर्शियलाइजेशन में किया जा सकेगा। हालांकि दोनों स्कीम में वो स्टार्टअप आवेदन नहीं कर सकेंगे, जिन्हें पूर्व में मेइटी के टाइड 2.0 या समृद्धि स्कीम के तहत फंडिंग मिली हो।